

सहायक कलेक्टर (SDO)

अज्ञ अदालत

बायतु

मुकाम

नगाएम

बनाम

चौथाराम वगैरे

किस्म मुकदमा

111,128 RLR 14

241 सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26.7.19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>खेताराम जाकिर</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111,128 RLR 14</u> राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>7.8.19</u> को पेश हो।</p>	
07/08/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/गणों के नोटिस तामील हुआ जल जिसे शामिल पत्रावली है। विप्रार्थी/गणों - पीछा पीछा करी डिग्न डार्थी में उपस्थित होने के निम्न इल्लवा डौडर मागगी दिनांक 15/10/19 को पेश हो।</p>	
15/10/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/गणों वाकडुड तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समग्र तीन बार मावज लगाई गई अन्तिम भावाज 5:45 PM पर लगाई गई विप्रार्थी/गण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एडतरफा शर्मनाही समल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एडपसीय वहात सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है प्रार्थी व विप्रार्थी/गणों के पत्र मेरा सब आपसे उप है। प्रार्थी व विप्रार्थी/गणों के सेते का सही जान नहीं है। उदा है वषति ही शक्य होने पर विप्रार्थी/गण प्रार्थी के सेते के लोड्डु प्रार्थी के खानेदारी घेत में शम्त डर लेते है। जिसमे प्रार्थी व विप्रार्थी/गणों के बिच में तनाजा बना वहात है। इस कारण प्रार्थी को अपने खानेदारी घेतों की</p>	

पक्षी नैष्कामवनी ठरवाता आवश्यक् हो इमलिए उणी हात
उत्तुल नैष्कामवनी आवेदन हो स्विकार शीमा जाड नैष्काम-
वनी आवेदा शीमा जाके।

मतः उणी हा नैष्कामवनी आवेदन स्विकार
शीमा जाड लघुशीलता वायुतु हो उमिशान निमुक्त शीमा जाता
है व आवेदा शीमा जाता है कि आप स्वतः मा आपनी आवेद-
नालय शीमा भी आप आवेदलेख निरिसुत से उणी हे आवेद-
दारी येतो ही पक्षी नैष्कामवनी मॉडरेटर शुक्ल-जम्हाडा
उमिशान शुक्ल जम्हाडा हे, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर
शामिल पत्रावली है। आवेदा शीमा से लिखा जाड शामिल
शामिल है। पत्रावली सामल शुक्ल रीडा इज नम्बर से डप
है दाखिल दफतर ही।

विष्णु यादव
10.10.2019

(पक्षी)
जायब तहसीलपर
(राज फरोकस)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 645

दिनांक:- 15-10-19

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. नगराम पुत्र खेताराम वगैरा जाति जाट निवासी नवलदेव छतरी चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. चौथाराम पुत्र नवलाराम वगैरा जाति जाट निवासी नवलदेव छतरी चौखला तहसील बायतु(बाड़मेर)


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 241 /19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा नवलदेव छतरी पटवार हल्का चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 752/34 रकबा 30.00 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।


आदेश बसरे ईजलास सुनाया गया।


सहायक कमिश्नर (SDO)
बायतु
दिनांक:- 15/10/19

क्रमांक/वाद/2019/ 646-51

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी चौखला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री नगराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण श्री चौथाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, नागाणा /बायतु।


सहायक कमिश्नर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

